कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, मसूरी वन प्रभाग, मसूरी।

पत्रांक ~~1083~~ 1983/12-1 दिनांक, मसूरी 04-12-2017।

सेवा में,

वन संरक्षक,
यमुना वृत्त, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

विषय :– **जनपद–टिहरी गढ़वाल के जौनपुर ब्लाक अन्तर्गत रौतू की बेली से चलीधार मोटर मार्ग के (कुल लम्बाई 2.00 किमी0) के निर्माण हेतु अपेक्षित 1.014 है0 वन भूमि का का वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के तहत् गैर वानिकी कार्य हेतु लो0नि0वि0 अस्थाई खण्ड, थत्यूड़ को प्रत्यावर्तन का प्रस्ताव।**

सन्दर्भ :– ऑनलाईन प्रस्ताव सं0–FP/UK/ROAD/10354/2015 एवं आपका ई0डी0एस0, दिनांक 12–11–2017

महोदय,

अधिशासी अभियन्ता, अस्थाई खण्ड, लो0नि0वि0, थत्यूड़, (टिहरी गढ़वाल) द्वारा अपने पत्र सं0 1798/21सी0 दिनांक 22–11–2017(प्रति संलग्न) से जनपद टिहरी गढ़वाल के जौनपुर ब्लाक अन्तर्गत रौतू की बेली से चलीधार मोटर मार्ग के (कुल लम्बाई 2.00 किमी0) के निर्माण हेतु अपेक्षित 1.014 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत् प्रत्यावर्तन प्रस्ताव की मय सी0डी0 इस कार्यालय में अग्रेतर कार्यवाही हेतु उपलब्ध करायी गयी है। प्रभाग स्तर से जांच /परीक्षण उपरान्त आवश्यक संस्तुति सहित विषयांकित प्रस्ताव की एक (01) हार्ड प्रति प्रेषित है। विषयांकित मोटर मार्ग के निर्माण हेतु अपेक्षित भूमि का स्थलीय संयुक्त निरीक्षण एवं प्रभावित होने वाले वृक्षों की गणना का कार्य अधीनस्थ स्टाफ, राजस्व विभाग व प्रस्तावक विभाग के कर्मचारियों /अधिकारियों द्वारा दि0 16–10–2011को किया गया। प्रस्तावित निर्माण कार्य में विभिन्न प्रजाति/व्यासवर्ग के कुल 103वृक्ष बाधित होने निहित है। जिसमें बॉज प्रजाति के 59 वृक्ष सम्मिलित है। अद्योहस्ताक्षरी द्वारा प्रस्तावित स्थल का दिनांक 30–11–2017 को स्थलीय निरीक्षण किया गया है।

क्र. सं.	भूमि का विवरण	प्रजाति का नाम	व्यास वर्ग								योग
			0–10	10–20	20–30	30–40	40–50	50–60	60–70	70 से अधिक	
1	**जौनुपर रेंज–** आरक्षित वन अलमस कक्ष सं0–3बी (कुल वाधित वृक्षों की सं0– 15)	बॉज	0	5	7	1	0	0	0	0	13
2	आरक्षित वन मगरा कक्ष सं0–2 (कुल वाधित वृक्षों की सं0–10)	बॉज	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	आरक्षित वन मगरा कक्ष सं0–1 (कुल वाधित वृक्षों की सं0–35)	बॉज	0	18	2	1	0	0	0	0	21
4	सिविल भूमि (कुल वाधित वृक्षों की सं0–29)	बॉज	0	8	4	2	0	0	0	0	14
5	नाप भूमि (कुल वाधित वृक्षों की सं0–14)	बॉज	0	8	3	0	0	0	0	0	11
	योग – कुल 103		–	39	16	04	0	0	0	0	59

वृत्त कार्यालय के उक्त सन्दर्भित पत्र के कम में नोडल कार्यालय द्वारा ई0डी0एस0 क्वेरी में इंगित सूचनाऐं /दस्तावेज/आपत्तियों का प्रस्तावक विभाग द्वारा निराकरण करते हुए वांछित सूचना /अभिलेख आनलाईन इस कार्यालय को उपलब्ध कराये गये हैं। विषयांकित वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रस्ताव पर नोडल कार्यालय द्वारा ई0डी0एस0 क्वेरी में उल्लिखित निम्न बिन्दुओं का निराकरण वांछित सूचनाऐं /दस्तावेज/प्रमाण–पत्र आनलाईन अपलोड कर उनकी हार्ड प्रति अग्रेतर कार्यवाही हेतु निम्नवत् संलग्न प्रेषित है।

क्र0 सं0	Objections of Nodel office.	आपत्तियों का निराकण
1.	In the component wise break up in Part I, the dumping is not mentioned. The same may filled break up in Online Part I.	प्रस्तावक विभाग द्वारा component wise break up जिसमें muck dumping को mentioned किया गया है। Part I में यथास्थान आनलाईन अपलोड किया गया है। Part I की प्रति संलग्न है।
2.	Authority letter isc not issued in favour of the applicant in Part I.	प्रस्तावक विभाग द्वारा श्री विशाल शर्मा, सहायक अभियन्ता के नाम ऑथरिटी लेटर तैयार कर भाग–I में यथास्थान आनलाईन अपलोड किया गया है। जिसकी प्रति संलग्न है।
3.	Employment generation details in the project is not filled in the online Part I.	प्रस्तावक विभाग द्वारा Employment generation details in the project को Part I के short narrative of the proposal and Project/scheme for which the forest land required में mentioned किया गया है। Part I प्रति संलग्न है।
4.	In the geo-referenced digital map of the area proposed for diversion, uploaded at C(iv) Part I online, geo coorinates are shown in google map which does not serve the purpose. May upload scanned copy of clear GIS software generated geo-referenced digital map to the exact scale of the proposed road showing geo coorinates at 200 to 300 m interval along the alignment including all turning points.	प्रस्तावक /लो0नि0वि0 द्वारा प्रस्तावित मोटर मार्ग के निर्माण हेतु अपेक्षित वन भूमि के वांछित Geo-referenced digital map को भाग–I में यथास्थान आनलाईन अपलोड किया गया है।
5.	The FRA certificate uploaded in online Part I is without mentoning date and a lot of unnecessary document and more than one copy of same document is attached with the FRA certificate. The State Govt. may opload only required annexure with mentioning date of the committee proceeding in each annexure with the FRA certificate.	प्रस्तावक/लो0नि0वि0 द्वारा FRA certificate को Part I में यथास्थान uploaded किया गया है।
6.	The digital map of area proposed for CA is provided on google earth map which does not serve any useful purpose May provde/upload GIS software generated geo-referenced digital map of the area proposed for CA providing geo coorinates at all corner points in shape (polygon/closed area)file.	The digital map of area proposed for CA is provided on google earth map upload GIS software generated geo-referenced digital map of the area proposed for CA providing geo coorinates at all corner points in shape (polygon/closed area)file.
7.	The density 0.5 for the area proposed for diversion appears to be incorrect in view of the number of trees proposed to be felled. The State Govt. may review the density and provide correct density in online Part II.	As per working plan the said compartment falls under Protection, chir-cons-cum-Imp & Banj-cons-cum-imp.circle copy atteched of relevant working plan circle. The detail are given of density under as per working circle :- Magra compt. no.1 & 2 required 0.49 ha. density as per W.P – 0.3, 0.5+0.6 /2 & Almas compt no. 3b required 0.157ha. density asper W.P–0.5, So, density avrage 0.45 or say 0.4,

8.	The NPV calculation is not provided with the proposal.	वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रस्ताव में NPV calculation provided in the proposal & uploaded in part-II in sr.no 13 additional Information details.
9.	The CA stipulation against total forest area diverted in the district is not commensurate, The State Govt. may do the necessary correction and require, clarify the discrepancies.	क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थल के सम्बन्ध में प्रयोक्ता एजेन्सी/लो0नि0वि0 द्वारा जिलाधिकारी, टिहरी गढ़वाल को प्रेषित पत्र की हार्ड प्रति मय संलग्नक संगत दस्तावेजों को part-II in sr.no 13 additional Information details में अपलोड किया गया है।
10.	The authenticated copy of online Part I, II, III, IV and V may provided to this office.	The authenticated copy of online Part I & II may be provided online & hart copy atteched.

अतः अनुरोध है कि प्रकरण में अग्रेतर कार्यवाही करने का कृपा करें।

संलग्न– उक्तानुसार।

भवदीय

(कहकशां नसीम)
प्रभागीय वनाधिकारी,
मसूरी वन प्रभाग, मसूरी।

पत्रांक 1983/12-1( ) तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि :– अधिशासी अभियन्ता, असथई खण्ड लो0नि0वि0, थत्यूड़ को उनके पत्र सं01798/21सी0 दिनांक 22–11–2017 एंव उक्त सन्दर्भित पत्र के कम में सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(कहकशां नसीम)
प्रभागीय वनाधिकारी,
मसूरी वन प्रभाग, मसूरी।

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
अस्थाई खण्ड, लो0नि0वि0, थत्यूड़, (टिहरी गढवाल)।
E-Mail- eepwdthatyur@rediffmail.com Phone & Fax:- 01376-246321

पत्रांक : 1798 /21जी0 दिनांक:- 22/11 /2017

सेवा में

प्रभागीय वनाधिकारी
मसूरी वन प्रभाग,
मसूरी।

विषयः– जनपद टिहरी गढवाल के विकासखण्ड जौनपुर के विधानसभा क्षेत्र धनोल्टी के अन्तर्गत रौतु की बेली से चलीधार मोटर मार्ग के (कुल लम्बाई 02 किमी0) के निर्माण हेतु आपेक्षित 1.014 हे0 वनभूमि का वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के तहत गैर वानिकी कार्यो हेतु लो0नि0वि0, अस्थाई खण्ड थत्यूड को प्रत्यावर्तन का ऑन लाईन प्रस्ताव सं0 **FP/UKROAD//10014/2015।**

सन्दर्भः– आपका पत्रांक 1806/12–1 दिनांक मसूरी 16.11.2017।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के कम में अवगत कराना है कि उपरोक्त मोटर मार्ग पर वन भूमि हस्तान्तारण ऑन लाईन प्रस्ताव में कामियों का निराकरण निम्नप्रकार किया गया है:–

1. ऑन लाईन प्रस्ताव के भाग 01 के K-(a)एवं Additional information Details के क्रम सं0–02 में वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत निर्धारित ग्राम पंचायत रौतु की बेली का ग्राम स्तरीय प्रमाण पत्र (प्रपत्र–23) अपलोड कर दिया गया है
2. ऑन लाईन प्रस्ताव में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु सिविल स्वंय भूमि का Oewnership proof के प्रमाण पत्र में फसली वर्ष –1419–1424 की उद्धरण खतौनी में खसरा नं0 3049 दर्ज कर अपलोड किया गया है।
3. ऑन लाईन प्रस्ताव के भाग – I के L- Details of land identified for CA (iv) के (h) copy fo non encumberence certificate for the forest land एवं Additional information Details के कम सं0 36 में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु आपेक्षित वनभूमि के दुगने 2.028 हे0 सिविल सोयम भूमि का प्रमाण पत्र अपलोड किया गया है।

अतः कमियों का निराकरण कर तद्परान्त प्रस्ताव के भाग–1 को डाउनलोड कर प्रस्तावक विभाग के सक्षम अधिकारी समुहर हस्ताक्षर कर हार्ड प्रति अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संलग्न प्रस्तावः– उपरोक्तानुसार ।

मसूरी वन प्रभाग
प्राप्ति संख्या 3528
पत्रावली संख्या 12-1
दिनांक 28/11/17
शाखा ...
प्रभागीय वनाधिकारी

22/11/17
(इं0 रजनीश कुमार)
अधिशासी अभियन्ता,
अस्थाई खण्ड, लो0नि0वि0,
थत्यूड़, (टिहरी गढवाल)।

पत्रांक / तद्दिनांक / /2017

प्रतिलिपि :–. 1. सहायक अभियन्ता/कनिष्ठ अभियन्ता अस्थाई खण्ड लो0नि0वि0, थत्यूड को सूचनार्थ प्रेषित।
2. खण्डीय अमीन अस्थाई खण्ड लो0नि0वि0, थत्यूड को सूचनार्थ प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता,
अस्थाई खण्ड, लो0नि0वि0,
थत्यूड़, (टिहरी गढवाल)।

Bachan Singh Letter 2015

भाग – II

(संबन्धी उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है।)

प्रस्ताव की राज्य क्रम संख्या ....

7-	परियोजना स्कीम का स्थान	जनपद–टिहरी गढ़वाल के जौनपुर ब्लाक अन्तर्गत रौतू की बेली से चलीधार मोटर मार्ग के (कुल लम्बाई 2.00 किमी0) के निर्माण हेतु अपेक्षित 1.014 है0 वन भूमि का का वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के तहत् गैर वानिकी कार्य हेतु लो0नि0वि0 अस्थाई खण्ड, थत्यूड़ को प्रत्यावर्तन का प्रस्ताव।
(i)	राज्य /संघ शासित क्षेत्र	उत्तराखण्ड राज्य
(ii)	जिला	टिहरी गढ़वाल
(iii)	वन प्रभाग	मसूरी वन प्रभाग, मसूरी
(iv)	वनेतर प्रयोग के लिए प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र (है0 में)	1.014 हैक्टर
(v)	वन की कानूनी स्थिति	0.490 है0 आरक्षित वन भूमि मगरा कक्ष सं0–1 व 2 0.157 है0 आरक्षित वन भूमि अलमस कक्ष सं0–3बी 0.367 है0 सिविल सोयम भूमि (ग्राम सिंगालगढ़ अन्तर्गत) 1.014 है0
(vi)	हरियाली का घनत्व	03 से 0.5
(vii)	प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जाये)। सिंचाई/जलीय परियोजनाओं के सम्बन्ध में एफ.आर.एल., एफ.आर.एल. –2 मीटर पर परिगणना और एफ.आर.एल.–4 मीटर भी संलग्न किये जाए)	प्रस्तावित मोटर मार्ग के निर्माण स्थल /समरेखण में विभिन्न प्रजाति एंव व्यास वर्ग के कुल 103 वृक्ष प्रभावित होने निहित है। जिनमें से कुल 59 बॉज प्रजाति के वृक्ष (34–आरक्षित वन भूमि, 14– सिविल सोयम भूमि एंव 11– निजी/नाप भूमि) में सम्मिलित है। उक्त सभी बाधित वृक्षों की भूमिवार /प्रजातिवार/व्यासवार गणना एंव मूल्यांकन सूची प्रस्ताव प्रस्ताव के पृष्ठ सं0 30 से 50 पर चस्पा है।
(viii)	भूक्षरण के लिए वन क्षेत्र की संवेदनशीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी	नहीं। इस बावत प्रस्तावक द्वारा प्रस्ताव के पृष्ठ सं0 63 से 65 पर वरिष्ट भू–वैज्ञानिक की दि0 15–04–2011की आख्या चस्पा की गयी है।
(ix)	वनेतर प्रयोग के लिए प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा से अनुमानित दूरी	प्रस्तावित /चयनित स्थल आरक्षित वन भूमि मगरा कक्ष सं0–1, 2, अलमस कक्ष सं0–3बी एंव ग्राम रौतु की बेली की सिविल सोयम भूमि) की सीमा अर्न्तगत स्थित है।
(x)	क्या फार्न राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य, जैवमण्डल रिजर्व, बाघ रिजर्व, हाथी कोरीडोर आदि का भाग है। (यदि हां, क्षेत्र का ब्यौरा और प्रमुख वन्य जीव वार्डन की टिप्पणियां अनुबंधित की जाए)	नहीं। इस बावत् प्रस्ताव के संलग्नक – 52 पर प्रमाण पत्र चस्पा किया गया है।
(xi)	क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणिजात की दुर्लभ/संकटापन्न/ विशिष्ट प्रजातियां पायी जाती है।यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा दें।	––––नहीं––––
(xii)	क्या कोई सुरक्षित पुरातत्वीय/पारम्परिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठापन और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है। यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाणपत्र के साथ, यदि अपेक्षित हो, दें।	नहीं। इस बावत् प्रस्ताव के संलग्नक – 71 से 71ए पर प्रमाण पत्र चस्पा किया गया है।
8.	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भाग–1 कालम 2 में प्रस्तावित वन भूमि की आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है यदि नहीं, तो जांचे गये विकल्पों के ब्यौरों के साथ मद–वार संस्तुति क्षेत्र क्या है।	इस बावत प्रस्तावक विभाग एंव राजस्व विभाग, द्वारा दिया गया प्रमाण पत्र प्रस्ताव के संलग्नक 24 से 24ए पर चस्पा है।
9.	क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है (हां/नहीं) यदि हां, तो कार्य की अवधि, दोषी अधिकारियों पर की गई कार्रवाई सहित कार्य का ब्यौरा दें क्या उल्लंघन संबंधी कार्य अभी भी चल रहे हैं।	– नहीं–

10.	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्यौरा	परियोजना हेतु प्रत्यावर्तित होने वाली अपेक्षित 1.014 वन भूमि के बदले दुगने 2.028है0 सिविल सोयम भूमि का क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु ग्राम रौतू की बेली सिविल सोयम में चयन किया गया है। इस हेतु क्षतिपूरक वृक्षारोपण का प्राक्कलन एंव मानचित्र प्रस्ताव के पृष्ठ सं0 76 से 82 पर चस्पा है।
(i)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेतर क्षेत्र/अवक्रमित वन क्षेत्र, आस पास के वन से इसकी दूरी, भू-खण्डों की संख्या, प्रत्येक भू-खण्ड का आकार।	क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु ग्राम रौतू की बेली सिविल सोयम में 2.028 है0 का चयन किया गया है। क्षतिपूरक वृक्षारोपण का प्राक्कलन एंव मानचित्र प्रस्ताव के पृष्ठ सं0 76 से 82 पर चस्पा है।
(ii)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेतर/ अवक्रमित वन क्षेत्र, और आस-पास की वन सीमाओं को दर्शाता मैप।	उक्तानुसार।
(iii)	रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण कार्यान्वयन एजेंसी, समय अनुसूची लागत ढांचा आदि।	प्रजातियां:- जलवायु के अनुरूप मिश्रित प्रजातियां। कार्यान्वयन एजेन्सी:- स्वयं वन विभाग। समय:- उच्च स्तर से स्वीकृति प्राप्त होने पर। लागत:- क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु रू0 5,13,737.00(रू0 पॉच लाख तेरह हजार सात सौ सैंतीस मात्र)।
(iv)	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिए कुल वित्तीय परिव्यय।	क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु रू0 5,13,737.00(रू0 पॉच लाख तेरह हजार सात सौ सैंतीस मात्र)।
(v)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबन्धकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण पत्र (सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए)	क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित क्षेत्र की उपयुक्तता संबंधी प्रमाण पत्र प्रस्ताव के संलग्नक -83 पर चस्पा है।
11.	उप वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः उपर्युक्त कालम 7 (xi, xii), 8 और 9 में पूछे गये तथ्यों को दर्शाते हुए (संलग्न करें)	अधीनस्थ वन अधिकारी, फील्ड स्टाफ, राजस्व विभाग एंव प्रस्तावक विभाग की संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट प्रतिहस्ताक्षरित करके संलग्नक-14 से 16 पर चस्पा है। अधोहस्ताक्षरी द्वारा भी वर्णित क्षेत्र का निरीक्षण दि0 30-11-2017 को किया गया है।
12.	विभाग/जिला प्रोफाइल	जिला- टिहरी गढ़वाल
(i)	जिले का भौगोलिक क्षेत्र	4421 वर्ग कि0मी0
(ii)	जिले का वन क्षेत्र	4058.90 वर्ग कि0मी0
(iii)	मामलों की संख्या सहित 1980 से वनेतर प्रयोग में लाया गया कुल वन क्षेत्र	कुल मामलों की संख्या 94 है। वनेतर प्रयोग में लाया गया कुल वन क्षेत्र 979.9032 है0 है। इसमें आरक्षित वन क्षेत्र 516.5694 है0 है।
(iv)	1980 से जिला/प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिपूरक वनी0 (क) दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वन भूमि : (ख) वनेतर भूमि पर:-	(क) 227.0912 हैक्टेयर/622.9106 हैक्टेयर (ख) रिक्त
(v)	अब तक प्रतिपूरक वनीकरण में हुई प्रगति (क) वन भूमि पर (ख) वनेतर भूमि पर	(क) 1- 218.90 है0 /504.88 हैक्टेयर में प्रभाग के अंतर्गत क्षतिपूरक वृक्षारोपण किया जा चुका है। (ख) रिक्त
13.	प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव को अन्यथा लेने के संबंध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश	प्रस्तावित निर्माण कार्य प्रश्नगत क्षेत्र की तकनीकी एंव स्थानीय विधि एंव नियमों के परिप्रेक्ष्य में प्रस्तावक विभाग के स्तर पर करवाना होगा। अतः संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट एंव प्रस्ताव में विभिन्न स्तरों से प्राप्त प्रमाण पत्रों/दस्तावेजों के अनुसार प्रभाग स्तर से संस्तुति की जाती है।

हस्ताक्षर

दिनांक: 04.12- 2017 ।

नाम:- (कहकशां नसीम)

प्रभागीय वनाधिकारी
मसूरी वन प्रभाग, मसूरी

स्थान:- मसूरी,